भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2229

दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर कमी

2229. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के कई हिस्सों विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की गंभीर कमी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मुद्दों को हल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार की क्या कार्ययोजना, यदि कोई हो, है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जल राज्य का विषय है। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान राज्यों द्वारा की जाती है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के पश्चात राज्य, वित्तीय सहायता हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास जाते हैं। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 में सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्यों का नाम	**जिलों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	09
गुजरात	11
झारखंड	18
कर्नाटक्	30
महाराष्ट्र	26
राजस्थान	09
कुल	**103**

स्रोतः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(ग) यह मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कवरेज में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए राहत उपायों को चलाने के लिए राज्य फ्लेक्सी निधि के रूप में एनआरडीडब्ल्यूपी का 25% तक उपयोग कर सकते हैं। राज्य, ऐसे क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के स्थायी उपाय हेतु एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का उपयोग करके दीर्घकालीन उपाय भी कर सकते हैं।